न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2017 निगरानी

उनवान

1.श्रीमती सजनी बलाई पत्नी स्व. भैरूलाल बलाई निवासी मोहनपुरा थाना माण्डलगढ जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. ग्राम पंचायत मोहनपुरा जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा पंचायत समिति माण्डलगढ 2. मदनलाल पिता रूप लाल ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा ग्राम पंचायत मोहनपुरा पं.स. माण्डलगढ जिला भीलवाडा
—— निगराकार		**——गैर निगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत मोहनुपरा पत्रावली संख्या 04 दिनांक 20.11.2010 को जारी पटटा सं. 1604 को निरस्ती बाबत।

उपस्थित :— श्री लादूलाल तेली अधिवक्ता — निगराकार की ओर
श्री कैलाश चन्द्र सोमानी अधिवक्ता — गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक31 .01.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार अनुसूचित जाति जनजाति की अनपढ गरीब विधवा महिला है। निगराकार के पति की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। निगराकार के हक आधिपत्य व स्वामित्वसुदा एक भूखण्ड (बाड़ा) ग्राम मोहनपुरा के अन्दर हल्का आबादी में 186.08 वर्ग गज का स्थित होकर निम्न पडौसान है। पूर्व—आम रास्ता, पश्चिम— मदन लाल का खरीदसुदा भूखण्ड, उत्तर— आम रास्ता, दक्षिण नन्दा रेगर का भूखण्ड स्थित है। उक्त पडौसान के मध्य स्थित बाडा (भूखण्ड) निगराकार का पुश्तैनी होकर पति के जीवनकाल से काबिज हो उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। निगराकार अनपढ विधवा महिला है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैर निगराकार सं. 02 ने झूठे दस्तोवजात तैयार कर निगराकार के उक्त बाडा का गलत तथ्य व पडौसान के आधार पर फर्जी पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को अपने नाम जारी करा लिया। उक्त बात की जानकारी निगराकार को गैर निगराकार सं. 02 के दिनांक 11.05.2017 को मौके पर कब्जा करने के लिये आने पर हुयी। जिस पर ग्राम पंचायत से उक्त फर्जी पटटे की प्रतिलिपियां मांगी तो पता चला की गैर निगराकार सं. 02 ने फर्जी तरीके से उक्त पटटा जारी करा लिया जो विधि विरूद्व तरीके से जारी किया जिसे पंचायती राज नियमों के विपरीत होने से उक्त भूखण्ड के पटटे को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। गैर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार सं. 01 ने पटटे की कार्यवाही के संदर्भ में ग्राम पंचायत ने मौके एवं आस पडौस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नही की तथा बिना पंचायत कोर्म बैठाये उक्त पटटा जारी किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार सं. 02 के नाम से जारी पटटा सं. 1604 दिनांक 20.11.2017 को निरस्त फरमाया जाने की कृपा करावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2017 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत मोहनपुरा से पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निगराकार अनुसूचित जाति जनजाति की अनपढ गरीब विधवा महिला है। निगराकार के पति की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। निगराकार के हक आधिपत्य व स्वामित्वसुदा एक भूखण्ड (बाड़ा) ग्राम मोहनपुरा के अन्दर हल्का आबादी में 186.08 वर्ग गज का स्थित होकर निम्न पडौसान है। पूर्व–आम रास्ता, पश्चिम– मदन लाल का खरीदसुदा भूखण्ड, उत्तर– आम रास्ता, दक्षिण नन्दा रेगर का भूखण्ड स्थित है। उक्त पडौसान के मध्य स्थित बाडा (भूखण्ड) निगराकार का पुश्तैनी होकर पति के जीवनकाल से काबिज हो उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। निगराकार अनपढ विधवा महिला है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए गैर निगराकार सं. 02 ने झूठे दस्तोवजात तैयार कर निगराकार के उक्त बाडा का गलत तथ्य व पडौसान के आधार पर फर्जी पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को अपने नाम जारी करा लिया। उक्त बात की जानकारी निगराकार को गैर निगराकार सं. 02 के दिनांक 11.05.2017 को मौके पर कब्जा करने के लिये आने पर हुयी। जिस पर ग्राम पंचायत से उक्त फर्जी पटटे की प्रतिलिपियां मांगी तो पता चला की गैर निगराकार सं. 02 ने फर्जी तरीके से उक्त पटटा जारी करा लिया जो विधि विरूद्व तरीके से जारी किया जिसे पंचायती राज नियमों के विपरीत होने से उक्त भूखण्ड के पटटे को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। गैर निगराकार सं. 01 ने पटटे की कार्यवाही के संदर्भ में ग्राम पंचायत ने मौके एवं आस पडौस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नही की तथा बिना पंचायत कोर्म बैठाये उक्त पटटा जारी किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार सं. 02 के नाम से जारी पटटा सं. 1604 दिनांक 20.11.2017 को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है। निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी में वर्णित भूमि व पटटे में वर्णित भूमि पर निगराकार का कभी कब्जा नही था। प्रार्थीया ने एक निगरानी विपक्षीगण के विरूद्व पेश की जिसमें ग्राम पंचायत मोहनपुरा का आबादी हल्का का पटटा 2010 में जारी किया गया। जिस पर प्रार्थी का गत् 50–60 वर्षों से कब्जा है तथा कुछ हिस्सा निगराकार के स्व. पति भैरू पिता हीरा व कल्याण पिता हीरा व हीरा पिता गोपी बलाईयान निवासी मोहनुपरा से स्टाम्प पर कय किया तथा इस पर नियमानुसार गैर निगराकार सं. 02 ने मकान व दुकान का निर्माण किया तथा व्यापार कर रहे है। निगराकार

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ने विधि विरूद्ध तरीके से निगरानी पेश कर न्यायालय एसडीओ एवं थाना माण्डलगढ व एएसपी माण्डलगढ आदि में फर्जी मुकदमे दर्ज कराये। जिसमें से कुछ पर निर्दोष होने से कोई कार्यवाही नही की गयी। विवादित पटटे की भूमि में से कुछ भूमि सजनी के पति, ससुर व जेठ ने गैर निगराकार सं. 02 को विक्रय की । इसके बाद नियमानुसार उक्त पटटा जारी किया गया जो पटटा सं. 1604 पत्रावली सं. 04 से दिनांक 20.11.2010 को कोई पटटा जारी नही किया गया है। निगराकार ने जो पटटा पेश किया वह गैर निगराकार सं. 02 के कब्जेसुदा व पटटा सं. 1604 का नही है तथा यह करीब 300 मीटर दूर पश्चिम में स्थित आबादी हल्का का पटटा है तथा केवल निगराकार का नही होकर निगराकार के ससुर, पति व जेठ का है तथा वर्तमान में विधि अनुसार निगराकार की ननदे, जेठ व स्व. भैरू के वारिसान का है। केवल निगराकार इस पटटे को अपना नही बता सकती है तथा जिस स्थान का पटटा निगराकार ने पेश किया उसमें स्व. भैरू पुत्र हीरा व कल्याण पुत्र हीरा को इन्द्रा आवास से जारी राशि से निर्मित मकान बने हुए है तथा जो पटटा पेश किया उस पटटे के एक तरफ आम रास्ता तथा तीन तरफ अन्य व्यक्तियों की खाली भूमि हैं तथा वर्तमान में जिस पटटे को निरस्त करने के लिए निगराकार ने निगरानी पेश की है उसके तीन तरफ रास्ता तथा एक तरफ नन्दा रेगर का मकान है। जिससे स्पष्ट होता है कि निगराकार ने न्यायालय को मुगालते मे रखकर निगरानी पेश की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा जारी पटटा सं. 1604 पूर्णतया नियमानुसार है। इसकी सार्वजनिक उद्घोषणा ग्राम पंचायत द्वारा की गयी। आज्ञाओं की सूची, मौका निरीक्षण, नजरी नक्शा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व पड़ौसियों के शपथ पत्र नियमानुसार पूर्ण पत्रावली कायम की जाकर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गयी। विकास अधिकारी माण्डलगढ से मौके की रिपोर्ट मंगवायी गयी उस रिपोर्ट में भी मौके पर गैर निगराकार सं. 02 का कब्जा पाया गया तथा नवीन मकान बनाकर निवास होना बताया तथा उस पर गैर निगराकार सं. 02 का परिवार व्यापार भी कर रहे है तथा निगराकार का कोई कब्जा नही दर्शाया है। निगरानी 7 साल बाद पेश की गयी जो निरस्त योग्य है क्योंकि जब मकान बन रहा था उस समय की तथा पटटे की जानकारी निगराकार को थी। वर्तमान मे भूमि की रेट बढने से प्रार्थीया ने निगरानी पेश की है जो निरस्त योग्य है। निगराकार श्रीमती सजनी ने भी अपने 161 के बयान में यही माना कि बाकी भूमि गैर निगराकार सं. 02 की है एवं 7.5 बाई 15 फीट निगराकार की है जो निगराकार के बडे पापा ने नही बेची है। हीरालाल के दो लडके व दो लडकिया है जिससे निगरानी में वो भी आवश्यक पक्षकार है, या तो उन्हें निगराकार बनाना चाहिए था या गैर निगराकार बनाना कानूनी आवश्यक है। निगरानी से संबंधित जायदाद सिविल प्रकरण से संबंधित है। यह जायदाद किसकी है? इसका वास्तविक स्वामी कौन है? यह सब सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। प्रशासकीय न्यायालय द्वारा मालिकाना हक तय नही किया जा सकता है। गैर निगराकार सं. 02 ने भी निगराकार के विरूद्व एक प्रकरण सं. 19/2017 मु. दी. सिविल न्यायाधीश माण्डलगढ मे पेश कर रखा है जो जैर कार्यवाही है। इसमें गैर निगराकार सं. 02 के हक में स्थगन दिया हुआ है। निवेदन किया है कि निगराकार की निगरानी निरस्त करायी जावे। गैर निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम पंचायत मोहनपुरा की पत्रावली सं. 04 सन् 2010 उनवान प्रकरण मदनलाल शर्मा बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा बाबत् नियम 157 के तहत पुश्तैनी आवास का पटटा जारी करने संबंधी का परीक्षण किया गया। गैर निगराकार सं. 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा को ग्राम मोहनपुरा में पुश्तैनी मकान का पटटा बनाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2010 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.11.2010 को नियम 140 के तहत आबादी भूमि मे पैतृक आवास लगभग 30 वर्ष पुराना होने से प्रार्थी के नाम पर नियम 145,146,148,149 के तहत कार्यवाही करते हुये नियम 157 के तहत प्रकरण दर्ज किया एवं नियम 167 के तहत विक्रय विलेख तैयार कर नियम 168 के तहत पटटा तैयार कर जारी किया गया है। पत्रावली के परीक्षण अनुसार मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 07.09.2010 में प्रार्थी का अन्दर हल्का आबादी में 30 वर्ष पुराना होना अंकित किया है। आवास को पैतृक अंकित किया है। क्रय,विक्रय, रहन रखा हुआ नही होना बताया है। गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष मे 3341.08 वर्गफीट का आबादी भूमि का पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को जारी किया गया।

निगराकार के स्थगन प्रकरण सं. 35/2017 के क्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है–

" पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया श्रीमती सजनी देवी पत्नी भैरू लाल बलाई के दादी ससुर स्व. गोपी पिता गिरधारी बलाई के नाम दिनांक 29.05.1956 को ग्राम पंचायत माण्डलगढ द्वारा पटटा जारी किया गया था। जिसका क्षेत्रफल लम्बाई 63+61/2 X चौड़ाई 47+45/2 कुल 2852 वर्गफीट है। पुश्तैनी से उक्त भूखण्ड कल्याण व भैरू पिता हीरा पिता गोपी बलाई के उपभोग में लिया जा रहा था। उक्त भूखण्ड में कल्याण पिता हीरा बलाई का हिस्सा 1/2 मदन लाल पिता रूप लाल शर्मा निवासी मोहनपुरा को रूपये 2500 में जरिये स्टाम्प के विक्रय किया गया है। शेष भूखण्ड श्रीमती सजनी देवी पत्नी भैरूलाल बलाई के हिस्से का है, किन्तु मदनलाल पिता रूप लाल शर्मा निवासी मोहनपुरा द्वारा क्रयसुदा भूखण्ड का पटटा बनाने हेतु ग्राम पंचायत मोहनपुरा में दिनांक 07.09.2010 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में क्रय सुदा भूखण्ड को पुश्तैनी दर्शाया गया है एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर तथ्य छुपाकर पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146,147,148,149 व 157 की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नही की जाकर भूमि विक्रय पत्रावली सं. 04/2010 दर्ज की जाकर नियम विरूद्व पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को भूखण्ड जिसकी लम्बाई 78+76/2 X चौड़ाई 53+34/2 कुल 3349.6 वर्गफीट भूमि का पटटा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। "

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार गोपी पिता गिरधारी बलाई के नाम दिनांक 29.05.1956 को ग्राम पंचायत माण्डलगढ द्वारा बापी पटटा जारी किया गया। गोपीलाल बलाई के नाम के भूखण्ड पर कल्याण पिता हीरा बलाई एवं भैरू पिता हीरा बलाई का 1/2 – 1/2 हिस्सा बराबर बराबर होना बताया है । उक्त भूखण्ड मे से कल्याण पिता हीरा बलाई के 1/2 हिस्से को मदनलाल पिता रूपलाल शर्मा निवासी मोहनपुरा को 2500/–रू. में विक्रय करना बताया है। स्टाम्प पेपर पर लिखावट करना एवं

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विक्रय भूखण्ड की रजिस्ट्री नही करना बताया है। गैर निगराकार सं. 02 मदनलाल शर्मा द्वारा क्रयसुदा भूखण्ड को अपना पुश्तैनी बताकर ग्राम पंचायत मोहनपुरा से 3341.8 वर्गफीट का आवासीय भूमि का पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को अपने नाम पर जारी करवाया है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ ने भी अपने पत्रांक/पंसमा/पंचायत/2017–18/506 दिनांक 24.07.2017 से प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अंकित किया कि गैर निगराकार सं. 02 मदनलाल पिता रूपलाल शर्मा निवासी मोहनपुरा के नाम पर सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को पटटा जारी किया गया जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146,147,148,149 व 157 की उल्लंघना होने से निरस्त योग्य है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

गैर निगराकार सं. 02 ने गोपी पिता गिरधारी बलाई के नाम जारी बापी पटटा दिनांक 29.05.1956 क्षैत्रफल 2852 वर्गफीट में से कल्याण पिता हीरा बलाई के 1/2 हिस्से को 2500/–रू. में कय कर कयसुदा भूखण्ड के साथ ग्राम पंचायत मोहनुपरा की आबादी भूमि के साथ अपनी पुश्तैनी भूमि बताकर 3341.8 वर्गफीट आबादी भूमि का पटटा अपने नाम जारी करवाया है। बापी पटटे की कयशुदा आबादी भूमि क्षैत्रफल 2852 वर्गफीट में से कल्याण पिता हीरा बलाई के 1/2 हिस्से का गैर निगराकार सं. 02 द्वारा 2500/–रू. प्रतिफल देकर इकरारनामें का पंजीयन नही कराकर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की चोरी कर राजस्व हानि पहुंचायी है।

सरपंच ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत आबादी भूमि के अधिकतम क्षैत्रफल 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) भूमि का पटटा जारी करने

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

का अधिकार है। इससे अधिक क्षेत्रफल का प्रकरण होने पर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा करने के पश्चात् ही 300 वर्गगज से अधिकतम क्षेत्रफल का पटटा जारी किया जा सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने आबादी भूमि का 3341.8 वर्गफीट भूमि यानि 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) से अधिकतम क्षेत्रफल का आवासीय भूमि का पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को गैर निगराकार सं. 02 मदनलाल शर्मा के पक्ष में पटटा जारी करके राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ii) की अवहेलना करके राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 की उल्लघंना करके राजस्व हानि पहुंचायी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार गैर निगराकार सं. 01 द्वारा गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) एवं (ii) की उल्लघंना करते हुए आवासीय भूमि का पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को जारी किया जो विधि विरूद्व होने से निगराकार की निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत स्वीकार योग्य ठहरती है।

आदेश

निगराकार की निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा पंचायत समिति माण्डलगढ की पत्रावली सं. 04 सन् 2010 में सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा नियम 157 के तहत गैर निगराकार सं. 02 मदनलाल पिता रूपलाल ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा के नाम पर पुश्तैनी आवास का पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 को जारी करके राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) एवं (ii) की अवहेलना की गयी एवं राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 की उल्लघंना किये जाने से एवं गैर निगराकार सं. 02 द्वारा बापी पटटे की आबादी भूमि क्षेत्रफल 2852 वर्गफीट में से कल्याण पिता हीरा बलाई के 1/2 हिस्से का 2500/– रू. प्रतिफल देकर क्रय कर इकरारनामें का पंजीयन नही कराकर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की चोरी कर राजस्व हानि पहुंचायी है। अतः सचिव /सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा द्वारा गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी पटटा सं. 1604 दिनांक 24.11.2010 विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ, ग्राम पंचायत मोहनपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा